

133

नाथलथ उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज)

प्रीतनीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - ~~अमरगढ़~~

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1051 दापर दिनांक 09/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25

रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम-प्राप्त	वर्ग-न	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	सुनील	152	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	तहसीलदार कपासन की अनुशंभा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम अमरगढ़ प.सं. 204 खतासं. 152 में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			हस्ताक्षर गिरदावर पटवारी	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	
			हस्ताक्षर गिरदावर पटवारी	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रेकार्ड में चित्तौडगढ करें।

तहसीलदार (पू.अ.)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (पू.अ.)

तहसील कपासन जिला-चित्तौडगढ



ग्रामीण सेवा शिविर-2025